# न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, संख्या-2, बून्दी (राज.)

| | | |
|---|---|---|
| पीठासीन अधिकारी | : | **कृष्णा गुप्ता,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग) |
| दीवानी अपील संख्या | : | 24/2026 |
| सी.एन.आर. नम्बर | : | RJBD010011622026 |

बिस्सा सिंह पुत्र केहर सिंह उम्र 64 वर्ष,
निवासी ग्राम मांगली तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज.)

**-अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.03**

**बनाम**

1. जानकीलाल पुत्र स्व. नोताराम उर्फ नरोत्तम, निवासी 22, सांघी कॉलोनी, अपोजिट होटल अमलतास ए.बी.रोड, इन्दौर (म.प्र.) हाल निवास ब्लॉक 53 ए, तिरूपति विहार, छत्रपुरा रोड, बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी (राज.)

**-प्रत्यर्थी/वादी**

2. किशनलाल पुत्र भैरूलाल निवासी गुमानपुरा तहसील एवं जिला बून्दी (राज.)
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी (राज.)
4. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी (राज.)

**-प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण**

5. देवकरण पुत्र अमरलाल निवासी ग्राम मानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राजस्थान)

**-तकमीली प्रत्यर्थी/प्रतिवादी सं.01**

**तत्कालीन वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, बून्दी (राज.) डॉ. मनोज तिवारी द्वारा दीवानी वाद संख्या 01/2026 (सी.आई.एस.संख्या 01/2026) बउनवान जानकीलाल बनाम देवकरण व अन्य में प्रतिवादी संख्या-3 के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री एवं निर्णय दिनांक 07.05.2026 एवं दिनांक 01.04.2026 को एक पक्षीय आदेश अपास्त करने का आवेदन खारिज किये जाने के विरूद्ध अपील।**

Authenticated Document

**उपस्थित -**

1. श्री तेज सिंह गौड़, विद्वान अधिवक्ता-अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या-3,
2. श्री अशोक वशिष्ठ, विद्वान अधिवक्ता-प्रत्यर्थी/वादी संख्या-1 की ओर से।
3. श्री कपिल सैनी, विद्वान अधिवक्ता-प्रत्यर्थी सं.05/प्रतिवादी सं.01
4. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी सं. 02 के विरूद्ध एकपक्षीय।
5. राजकीय अभिभाषक, प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण सं. 03 व 04 की ओर से।

## नि र्ण य

**दिनांकः 11.08.2026**

1. अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या-3 ने हस्तगत दीवानी अपील विद्वान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, बून्दी (राज.) द्वारा दीवानी वाद संख्या 01/2026 (सी.आई.एस.संख्या 01/2026) बउनवान जानकीलाल बनाम देवकरण व अन्य में प्रतिवादी संख्या-3 के विरूद्ध पारित एकपक्षीय डिक्री एवं निर्णय दिनांक 07.05.2026 एवं एक पक्षीय आदेश अपास्त करने का आवेदन खारिज किये जाने के आदेश दिनांक 01.04.2026 से व्यथित होकर जिला न्यायालय, बून्दी में प्रस्तुत की गई है, जहां से अन्तरण की प्रक्रिया से इस न्यायालय को प्राप्त हुई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी/वादी जानकीलाल की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद-पत्र प्रतिवादीगण के विरुद्ध अंतःकालीन लाभ/मेसने प्रॉफिट की राशि 4,50,000/-रुपये दिलवाये जाने, वादग्रस्त भूमि पर अवैध कब्जा हटवाकर कब्जा वादी को दिलवाये जाने तथा वादग्रस्त संपत्ति की सुरक्षा एवं न्यायोचित प्रबंधन हेतु रिसीवर नियुक्त किये जाने के संबंध में इन संक्षिप्त तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम मांगली, पटवार हल्का गादेगाल, तहसील व जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 173 रकबा 1.1381 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 202 रकबा 4.2449 हैक्टेयर, कुल किता 2, कुल रकबा 5.3830/5.3850 हैक्टेयर राजस्व अभिलेखों में

Authenticated Document

संयुक्त खातेदारी भूमि के रूप में दर्ज है, जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा विधिवत रूप से निहित है। उक्त भूमि उसके पूर्वजों से प्राप्त पुश्तैनी कृषि भूमि है तथा उसके पिता स्व.नोताराम उर्फ नरोतम के पश्चात वादी सहित अन्य सहखातेदारों के हिस्से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुए। अन्य सह खातेदारों द्वारा अपने-अपने हिस्सों के संबंध में पृथक व्यवहार किये गये, किन्तु वादी ने अपने 1/5 हिस्से की भूमि का विक्रय नहीं किया और न ही किसी प्रतिवादी को अपने हिस्से पर कब्जा करने अथवा कोई व्यावसायिक गतिविधि करने का अधिकार दिया। वादग्रस्त भूमि के संबंध में उसने पूर्व में राजस्व न्यायालय, सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) बून्दी के समक्ष धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत राजस्व वाद संख्या 259/21 प्रस्तुत किया, जिसमें दिनांक 30.05.2025 को निर्णय पारित कर वादी के पक्ष में प्राथमिक डिक्री जारी की गई। उक्त निर्णय के पालन में विभाजन प्रस्ताव तैयार हुआ, अंतिम डिक्री की कार्यवाही हुई तथा वादी का हिस्सा पृथक रूप से चिन्हित/दर्शित किया गया, जिससे यह पूर्ण रूप से स्थापित है कि वादी का 1/5 हिस्सा केवल कागजी दावा नहीं बल्कि न्यायिक एवं राजस्व अभिलेखों से पुष्ट अधिकार है। उसके उक्त 1/5 हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 देवकरण एवं प्रतिवादी संख्या 3 बिस्सा सिंह ने बिना किसी विधिक अधिकार, बिना विक्रय, बिना पट्टा, बिना लीज और बिना वादी की सहमति के जबरन कब्जा कर रखा है। उसके हिस्से की भूमि के बड़े भाग पर पक्का निर्माण कर डेयरी व्यवसाय चला रखा है, गाय-भैंस आदि पशुओं का पालन कर दुग्ध उत्पादन करता है तथा उक्त भूमि से प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ अर्जित कर रहा है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 देवकरण भी वादी की भूमि के हिस्से पर अनधिकृत कब्जा कर कृषि कार्य करता है और भूमि से होने वाली आमदनी का लाभ स्वयं लेता है। उक्त अवैध कब्जा एवं उपयोग लगभग तीन वर्षों से निरंतर चला आ रहा है और प्रतिवादी संख्या 1 व 3

द्वारा वादी के हिस्से की भूमि से प्रतिवर्ष लगभग 1,50,000/-रुपये का आर्थिक लाभ अर्जित किया जा रहा है। 2022 से 2025 तक तीन वर्षों में कुल 4,50,000/-रुपये का लाभ प्रतिवादीगण द्वारा अर्जित किया गया, जिसे वादी आदेश 20 नियम 12 सि.प्र.सं. के अंतर्गत मेसने प्रॉफिट/अंतःकालीन लाभ के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 राज्य को पक्षकार बनाया गया है, किन्तु विवाद की प्रकृति तत्काल संरक्षण, अवैध कब्जे की रोकथाम, मेसने प्रॉफिट और न्यायालयीय संरक्षण से संबंधित होने के कारण धारा 80 सि.प्र.सं.के अंतर्गत अनुमति सहित वाद प्रस्तुत किया गया। वादी ने अंततः प्रार्थना की कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरुद्ध उसके पक्ष में तीन वर्षों का मेसने प्रॉफिट 4,50,000/-रुपये मय ब्याज व हर्जा-खर्चा दिलवाया जावे, वादग्रस्त भूमि पर नियुक्त रिसीवर/तहसीलदार बून्दी के माध्यम से विधिपूर्वक कब्जा वादी को दिलवाया जावे तथा अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान की जावे।

3. प्रतिवादी संख्या-1 देवकरण के तामील के बावजूद उपस्थित नहीं होने से उसके विरूद्ध दिनांक 31.01.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी संख्या-3 बिस्सा सिंह के तामील के बावजूद उपस्थित नहीं होने से उसके विरूद्ध दिनांक 06.02.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. प्रतिवादी संख्या 2 किशनलाल ने अपना जवाब दावा प्रस्तुत करते हुये यह अंकित किया कि वादी का राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा दर्ज है, उसका वादी की भूमि पर कोई कब्जा नहीं है और न ही वादी की भूमि से उसका कोई लेना-देना है। यह भी अंकित किया कि वादी की भूमि में से लगभग 5 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 बिस्सा सिंह का कब्जा है, जिसने वहां डेयरी खोल रखी है तथा वादी की लगभग 2 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 देवकरण का कब्जा है। विशेष कथन में यह भी अंकित

किया कि जिला न्यायाधीश, बून्दी की अपील संख्या 401/12 भैरूलाल बनाम नोताराम में दिनांक 09.12.2015 को राजीनामा हो गया था और उसके बाद से प्रतिवादी संख्या 2 का उक्त भूमि से कोई लेना-देना नहीं रहा। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने विरुद्ध वाद खारिज किये जाने और अपना नाम वाद से हटाये जाने की प्रार्थना की।

5. प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से भी जवाब प्रस्तुत करते हुये यह अंकित किया गया कि ग्राम मांगली की आराजी खसरा संख्या 173 रकबा 1.1381 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 202 रकबा 4.2449 हैक्टेयर, कुल किता 2, कुल रकबा 5.3850 हैक्टेयर जमाबंदी संवत 2073.2076 ऑनलाइन खाता संख्या 47 में दर्ज है, जिसमें जानकीलाल पुत्र नोताराम का 1/5 हिस्सा, देवली पत्नी धनराज का 2/5 हिस्सा, पप्पू पुत्र नारायण का 1/5 हिस्सा तथा लक्ष्मण पुत्र मांगू का 1/5 हिस्सा दर्ज है। सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), बून्दी के न्यायालय में राजस्व वाद प्रस्तुत हुआ और प्राथमिक डिक्री जारी की गई, जिसकी पालना में तहसील कार्यालय, बून्दी से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भेजे गये तथा उक्त डिक्री के आधार पर वादी जानकीलाल के हिस्से में खसरा संख्या 173 रकबा 1.1381 हैक्टेयर में से 1.0766 हैक्टेयर भूमि दर्शायी गई। धारा 80 सि.प्र.सं. के नोटिस के अभाव में वाद पोषणीय नहीं होना भी अंकित किया तथा विशेष कथन में यह भी अंकित किया गया कि प्रस्तुत वाद कृषि भूमि के संबंध में है और कृषि भूमि संबंधी वाद का श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को नहीं होकर राजस्व न्यायालय को है, इसलिए वाद खारिज किया जावे।

6. उभय पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित विवाद्यक विरचित किये गये-

(1) क्या वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 173 एवं 202, कुल रकबा 5.3850 हैक्टेयर में वादी की 1/5 हिस्सेदारी राजस्व अभिलेख तथा

Authenticated Document

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), बून्दी द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.05.2025 एवं विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विधिवत स्थापित है ?

**-वादी**

(2) क्या प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3, विशेषतः प्रतिवादी संख्या 1 एवं 3 द्वारा वादी के हिस्से की भूमि पर अनधिकृत एवं अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण, डेयरी व्यवसाय एवं कृषि कार्य कर आर्थिक लाभ अर्जित किया जा रहा है, तथा क्या प्रतिवादी संख्या 2 का उक्त भूमि पर कोई कब्जा या दायित्व है ? **-वादी**

(3) क्या प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 द्वारा कृषि वर्ष 2022 से 2025 तक तीन वर्षों में 4,50,000/-रुपये, अर्थात प्रतिवर्ष 1,50,000/-रुपये मेसने प्रॉफिट अर्जित किया गया तथा क्या वादी उक्त राशि मय ब्याज व हर्जा खर्चा प्राप्त करने का अधिकारी है ? **-वादी**

(4) क्या प्रस्तुत वाद कृषि भूमि के संबंध में होने से उक्त वाद का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को है ? **-प्रतिवादी संख्या-4 व 5**

(5) क्या वादग्रस्त संपत्ति की सुरक्षा एवं विधिपूर्वक कब्जा सुनिश्चित करने हेतु तहसीलदार,बून्दी को रिसीवर नियुक्त कर विधिअनुसार कब्जा वादी को दिलवाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है ? **-वादी**

(6) अनुतोष ?

7. साक्ष्य वादी में ए.डब्ल्यू.1 जानकीलाल, ए.डब्ल्यू.2 शुभम खत्री तथा ए.डब्ल्यू.3 धर्मवीर के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2025 को प्रदर्श-1 वाद संख्या-259/21 से संबंधित अभिलेख को प्रदर्श-2, प्राथमिक डिक्री को प्रदर्श-3, अंतिम डिक्री को प्रदर्श-4, मौका रिपोर्ट मय नक्शा को प्रदर्श-5 एवं प्रदर्श-6 तथा फोटो को प्रदर्श-7 से प्रदर्श-11 तक प्रदर्शित करवाया गया।

Authenticated Document

8. प्रतिवादीगण की ओर से कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

9. कालान्तर में विद्वान विचारण न्यायालय ने उभय-पक्ष को सुनकर आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री पारित की, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

10. उभय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

11. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या-3 की ओर से अपनी बहस के दौरान अपील याचिका में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये यह तर्क प्रस्तुत किये कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री तथ्यों एवं विधि के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 07.05.2026 के बजाय निर्णय में आगामी निर्णय दिनांक 07.06.2026 अंकित की है, जो न्यायालय की भारी भूल है। उनका यह भी तर्क रहा है कि इस वाद का श्रवणाधिकार दीवानी न्यायालय को नहीं होकर राजस्व न्यायालय को प्राप्त है, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय ने इस आपत्ति को नहीं मानकर विधिक त्रुटि कारित की है। मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के बिना केवल वादी/प्रत्यर्थी संख्या-1 के अभिवचनों के आधार पर प्रतिवादी संख्या-1 व 3 से 4,50,000/-रूपये की वसूली का आदेश दिये जाने में भी विधिक त्रुटि कारित की गई है। उनका मुख्य रूप से यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी/ प्रतिवादी संख्या-3 पूर्व में अपने साले का निधन हो जाने एवं तत्पश्चात् साले की पुत्री के विवाह की तैयारियों के प्रयोजनार्थ तीन माह तक पंजाब गया हुआ था और पीछे से इस मामले का सम्मन उसके पुत्र हरजीत सिंह पर तामील मानकर उसकी अनुपस्थिति के बारे में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाना मानते हुये उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही आदेशित की गई है, जो किसी प्रकार युक्तियुक्त, तर्कसंगत

एवं औचित्यपूर्ण नहीं है, जबकि उसकी अनुपस्थिति का समुचित एवं सम्यक् कारण रहा था। वैसे भी दीवानी विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक पक्षकार को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिये, ताकि किसी भी पक्षकार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो। यहां यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि हस्तगत मामले में वाद दिनांक 21.01.2026 को प्रस्तुत किया गया और अत्यन्त निकट की तारीख पेशिया नियत करते हुये दिनांक 06.02.2026 को अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या-3 के अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही आदेशित की गई, जिसे निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत आवेदन को दिनांक 01.04.2026 को निरस्त करते हुये वाद का अन्तिम रूप से निस्तारित कर दिया गया, जो विद्वान विचारण न्यायालय की मंशा को भी प्रकट करने के लिये पर्याप्त है। अन्त में उन्होंने न्यायालय का ध्यान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं की ओर भी आकृष्ट करते हुये अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या-3 की अपील स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय के एकपक्षीय निर्णय दिनांक 07.05.2026 एवं दौराने दावा एक पक्षीय आदेश हटाने के आवेदन को निरस्त करने के आदेश दिनांक 01.04.2026 एवं अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में दिनांक 06.02.2026 को उसके विरूद्ध किये गये एक पक्षीय आदेश को अपास्त कर वादी/प्रत्यर्थी संख्या-1 का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया।

12. जबकि इसके विपरीत प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण ने उपरोक्त तर्कों खण्डनस्वरूप विरोध करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित किये गये आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री को अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के तार्किक विश्लेषण पर आधारित बताते हुये आक्षेपित निर्णय एवं आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं होना बताते हुए अपील याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

Authenticated Document

13. उभय-पक्ष के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है तथा अभिलेख का भी सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

14. हस्तगत प्रकरण में वादी के अपने कथनों के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 एवं 3 ने उसकी कृषि भूमि के हिस्से पर बिना विधिक अधिकार कब्जा कर रखा है और वह उक्त कब्जा हटवाकर अपनी भूमि का कब्जा चाहता है। वादी द्वारा वाद में मुख्य रूप से यह अनुतोष चाहा गया है कि प्रतिवादी 1 से 3 को वादी के कथित 1/5 हिस्से की कृषि भूमि से हटाया जाकर कब्जा दिलाया जावे, उक्त अवैध कब्जे के लिए ₹4,50,000/- मिन्स प्रोफिट दिलाया जावे एवं संपत्ति की सुरक्षा हेतु रिसीवर नियुक्त किया जावे। वादी द्वारा अपने 1/5 हिस्से का अधिकार राजस्व कार्यवाही में पहले ही निर्धारित होना बताया गया है और उक्त आधार पर ही वह यह वाद लेकर आया है। दूसरी ओर, प्रतिवादी 4 एवं 5 ने स्पष्ट रूप से क्षेत्राधिकार की आपत्ति उठाई है कि विवाद कृषि भूमि से संबंधित होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन राजस्व न्यायालय को ही सुनवाई का अधिकार है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय का यह मत है कि सवप्रथम यह देखा जाना चाहिए कि प्रस्तुत वाद सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है अथवा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के कारण राजस्व न्यायालय में विचारणीय है तथा विचारण न्यायालय के पास इस वाद को सुनने का ही अधिकार था अथवा नहीं ?

15. विचारण न्यायालय द्वारा इस संबंध में विवाद्यक संख्या 4 कायम भी किया है तथा उस पर अपना निष्कर्ष पारित भी किया है। चूंकि यह विवाद्यक विधि से संबंधित है, अतः इस न्यायालय की सुविचारित राय में हस्तगत अपील के सही एवं न्यायपूर्ण निर्णय के लिये उक्त विवाद्यक सं. 4 पर सर्वप्रथम विवेचना किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वाद पत्र एवं जवाब दावों में अंकित अभिकथनों एवं विवाद्यक सं. 4 के

Authenticated Document

परिप्रेक्ष्य में इस अपील में सर्वप्रथम निम्न प्रश्नों का निर्धारण किया जाना आवश्यक है :-

**(i)** क्या वादपत्र के कथनों के अनुसार वाद की वास्तविक एवं मुख्य राहत ऐसी है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अधीन राजस्व न्यायालय द्वारा विचारणीय है?

**(ii)** क्या मेसने प्रॉफिट एवं रिसीवर की अतिरिक्त/आनुषंगिक राहतों के कारण सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र उपलब्ध हो जाता है?

**(iii)** क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 4 को वादी के पक्ष में निर्णीत किया जाना विधिसम्मत है?

16. इस विवाद्यक को निर्णीत करने के लिए सर्वप्रथम यह देखना आवश्यक है कि वादपत्र में वर्णित वाद का वास्तविक स्वरूप क्या है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय को केवल वाद में प्रयुक्त शब्दों अथवा अनुतोषों के नाम से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि वादपत्र को समग्र रूप से पढ़कर उसके वास्तविक वाद कारण व अनुतोष निर्धारित करना चाहिए। वर्तमान मामले में प्रश्न केवल इतना नहीं है कि विवादित भूमि कृषि भूमि है या नहीं। वास्तविक प्रश्न यह है कि वादी द्वारा जिस वाद कारण के आधार पर मुख्य अनुतोष चाहा गया है, क्या उस वाद कारण के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में राजस्व न्यायालय के लिए विशिष्ट उपचार उपलब्ध है। इस संदर्भ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 207 अत्यंत महत्वपूर्ण है। धारा 207(1) के अनुसार तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट प्रकृति के सभी वाद एवं आवेदन राजस्व न्यायालय द्वारा सुने एवं निर्धारित किये जाने हैं। धारा 207(2) इससे आगे यह प्रावधान करती है कि किसी ऐसे वाद या आवेदन, अथवा ऐसे वाद कारण पर आधारित वाद या आवेदन को, जिसके संबंध में तृतीय अनुसूची में वर्णित कार्यवाही द्वारा कोई अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है, राजस्व न्यायालय के अतिरिक्त ऐसे मामलों में

Authenticated Document

कोई अन्य न्यायालय संज्ञान में नहीं लेगा। इस सम्बन्ध में तृतीय अनुसूची की प्रविष्टि 23 धारा 183 के अधीन अतिक्रमी के बेदखली संबंधी वाद को राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रखती है और उसके लिए सहायक जिलाधीश को सक्षम न्यायालय निर्धारित किया गया है। धारा 183 के अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसने बिना विधिक अधिकारिता भूमि पर कब्जा लिया अथवा कब्जा बनाए रखा है, बेदखली के लिए उत्तरदायी है। वर्तमान वादपत्र में वादी का स्वयं का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 एवं 3 ने उसके हिस्से की कृषि भूमि पर "बिना किसी विधिक अधिकार" कब्जा कर रखा है और वह उक्त भूमि से उनका कब्जा हटवाकर अपने पक्ष में कब्जा चाहता है। अतः वादी के अपने अभिवचनों में वर्णित मुख्य वाद कारण धारा 183 में वर्णित अतिक्रमण अथवा अविधिक कब्जे तथा उससे उत्पन्न बेदखली के प्रत्यक्ष अनुतोष से संबंधित है।

17. विद्वान विचारण न्यायालय ने विवाद्यक संख्या 4 की विवेचना में यह अंकित किया है कि चूंकि वादी पुनः विभाजन नहीं मांग रहा है और उसके अधिकार का पूर्व में राजस्व न्यायालय द्वारा निर्धारण हो चुका है, इसलिए वर्तमान वाद का स्वरूप कम्पोजिट सूट का है, जो कि स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। वादी का यह कहना कि उसका हिस्सा पहले ही राजस्व कार्यवाही में निर्धारित हो चुका है, इस तथ्य को बदलता नहीं है कि वर्तमान वाद में उसकी मूल शिकायत यह है कि उसकी कृषि भूमि के हिस्से पर प्रतिवादीगण ने बिना अधिकार कब्जा कर रखा है और वह उस कब्जे से मुक्ति तथा कब्जा प्राप्त करना चाहता है। राजस्व न्यायालय में अधिकार का निर्धारण हो जाना केवल उस पूर्व कार्यवाही के परिणाम को दर्शाता है, उससे बाद की कब्जा दिलाये जाने के अनुतोष का स्वरूप परिवर्तित नहीं हो जाता है।

18. अब न्यायालय को यह देखना होता है कि हस्तगत प्रकरण में वास्तविक, सारभूत अथवा मुख्य अनुतोष क्या है। यदि मुख्य अनुतोष

राजस्व न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो उसके साथ मांगे गये सहायक/आनुषांगिक अनुतोष के कारण सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। वादपत्र को उसके सार एवं मूल तथ्यों के अनुसार पढ़ा जाना चाहिए और अनुतोष के वास्तविक स्वरूप को उसके नाम से नहीं बदला जा सकता।

19. वर्तमान प्रकरण में मुख्य अनुतोष स्पष्ट रूप से वादी के कथित हिस्से की कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के कब्जे को हटाकर कब्जा प्राप्त करना है। मेसने प्रॉफिट की राशि उसी कथित कब्जे तथा भूमि के उपयोग से उत्पन्न बताई गई है। रिसीवर की प्रार्थना भी उसी संपत्ति के संबंध में संरक्षण की है। अतः वाद के मुख्य अनुतोष को पृथक करके केवल सहायक/आनुषांगिक अनुतोष को आधार बनाकर सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र निर्धारित करना विधि-सम्मत नहीं है।

20. विद्वान विचारण न्यायालय ने इस आधार पर भी सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र स्वीकार किया कि मेसने प्रॉफिट आदेश 20 नियम 12 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सिविल अनुतोष है। इस संबंध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आदेश 20 नियम 12 सिविल प्रक्रिया संहिता किसी ऐसे न्यायालय को विशेष क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करता, जिसका अधिकार क्षेत्र किसी विशेष अधिनियम द्वारा वर्जित हो। किसी अनुतोष के लिए सि.प्र.सं. में प्रक्रिया निर्धारित होना अपने आप में यह सिद्ध नहीं करता कि उस अनुतोष से संबंधित प्रत्येक वाद सिविल न्यायालय में ही विचारणीय होगा।

21. यहां मेसने प्रॉफिट का दावा कोई स्वतंत्र संविदा अथवा अलग आर्थिक वाद कारण नहीं है। वादी ने स्वयं अपने वादपत्र में इसे प्रतिवादीगण द्वारा उसकी कृषि भूमि पर कथित अवैध कब्जा कर उस भूमि से लाभ अर्जित करने के परिणामस्वरूप मांगा है। अतः यह मुख्य

Authenticated Document

रूप से बेदखली अनुतोष से उत्पन्न आनुषांगिक अनुतोष की श्रेणी में आता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची में धारा 183 से संबंधित बेदखली उपाय उपलब्ध है। अतः केवल इस आधार पर कि वादी ने अपने आर्थिक लाभ को मेसने प्रोफिट कहा है, सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पुनः उत्पन्न नहीं हो जाता। धारा 207 की योजना में अतिरिक्त अथवा भिन्न राहत की मांग को भी स्वतंत्र आधार नहीं माना गया है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मेसने प्रॉफिट की मांग को आधार बनाकर सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र स्वीकार करना विधिसम्मत नहीं था।

22. इसी प्रकार रिसीवर की नियुक्ति की प्रार्थना भी वाद की मूल प्रकृति को परिवर्तित नहीं करती। रिसीवर की नियुक्ति एक संरक्षणात्मक एवं सहायक अनुतोष है। रिसीवर की नियुक्ति अपने आप में कोई स्वतंत्र वाद कारण नहीं है। जब मुख्य विवाद ही ऐसी कृषि भूमि के कब्जे से संबंधित हो जिसके संबंध में विशेष अधिनियम राजस्व न्यायालय को अधिकार देता है, तो रिसीवर की प्रार्थना के आधार पर सिविल न्यायालय उस मूल विवाद को अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं रख सकता। अतः विद्वान विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि रिसीवर की प्रार्थना सिविल न्यायालय के विवेकाधिकार से संबंधित होने के कारण दीवानी न्याालय का क्षेत्राधिकार दर्शित होता है, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

23. विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने दिनांक 18.02.2026 के अंतरिम आदेश का भी उल्लेख किया है और कहा है कि उस समय न्यायालय ने वाद को कम्पोजिट सूट वाला मानते हुए प्रथमदृष्टया सिविल न्यायालय में पोषणीय माना था। इस संबंध में इस न्यायालय का यह मत है कि अंतरिम आदेश किसी अन्तर्वर्ती प्रार्थना के संदर्भ में प्रथमदृष्टया विचार पर आधारित होता है। न्यायालय को अंतिम निर्णय में क्षेत्राधिकार के प्रश्न का स्वतंत्र एवं समग्र निर्धारण करना होता है। किसी अंतरिम

आदेश से वह वैधानिक क्षेत्राधिकार उत्पन्न नहीं हो सकता, जो मूल अधिनियम द्वारा निषिद्ध हो। अधिकार क्षेत्र का स्रोत विधि होता है, पूर्व अंतरिम आदेश नहीं। अतः केवल इस आधार पर कि दिनांक 18.02.2026 को सिविल न्यायालय ने अंतरिम स्तर पर वाद को पोषणीय माना था, अंतिम स्तर पर धारा 207 के प्रभाव का स्वतंत्र परीक्षण करने से विचारण न्यायालय वंचित नहीं था।

24. राज्य पक्ष द्वारा धारा 80 सि.प्र.सं. के संबंध में उठाई गई आपत्ति पर विचारण न्यायालय ने धारा 80(2) के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि तत्काल राहत की आवश्यकता होने से वाद पोषणीय है। इस संबंध में यह पर्याप्त है कि धारा 80(2) सि.प्र.सं., धारा 80(1) में निहित पूर्व सूचना की आवश्यकता से संबंधित प्रक्रियात्मक अपवाद है। यह प्रावधान उस न्यायालय को विषय वस्तु के संबंध में क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करता, जिसका क्षेत्राधिकार किसी विशेष अधिनियम के अधीन वर्जित है।

25. अतः धारा 80(2) सि.प्र.सं. के अंतर्गत छूट अथवा तत्काल राहत की आवश्यकता का प्रश्न राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 द्वारा निर्धारित क्षेत्राधिकार के प्रभाव को समाप्त नहीं कर सकता है। अतः इस अपील में धारा 80 सि.प्र.सं. की आपत्ति पर विचारण न्यायालय द्वारा किया गया निष्कर्ष अंतिम परिणाम को प्रभावित नहीं करता।

26. विद्वान विचारण न्यायालय ने *Dhulabhai vs State of Madhya Pradesh, AIR 1969 SC 78* के सामान्य सिद्धांत पर बहुत अधिक जोर दिया है। किन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 स्वयं स्पष्ट रूप से कहती है कि तृतीय अनुसूची में वर्णित प्रकृति के वाद राजस्व न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे तथा ऐसे वाद कारण पर आधारित वाद को कोई अन्य न्यायालय सुनवाई नहीं करेगा। अतः यहां विशेष अधिनियम में विशिष्ट मंच तथा विधिक प्रतिबंध दोनों उपलब्ध हैं।

Authenticated Document

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त न्यायदृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धांतों का सही अनुप्रयोग करने पर भी वर्तमान मामले में परिणाम यही होगा कि जहां विशेष कानून द्वारा उपलब्ध उपचार पर्याप्त रूप से निर्धारित है और सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर स्पष्ट रोक है, वहां सामान्य धारा 9 सि.प्र.सं. के आधार पर सिविल क्षेत्राधिकार को बनाए नहीं रखा जा सकता।

27. वादी ने अपने अधिकार के समर्थन में सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), बून्दी द्वारा दिनांक 30.05.2025 को पारित प्राथमिक डिक्री तथा उसके अनुसरण में तैयार विभाजन प्रस्ताव पर निर्भरता व्यक्त की है। परन्तु उक्त राजस्व डिक्री से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि उसके पश्चात वादी द्वारा कथित अतिक्रमणकर्ता से कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त करने का उपचार सिविल न्यायालय में चला जाये। इसके विपरीत, वादी के अपने कथनों के अनुसार वर्तमान वाद कारण भी कृषि भूमि पर कथित अनाधिकृत कब्जे से उत्पन्न है, जिसके संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विशेष उपचार उपलब्ध है।

28. उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वादपत्र के समग्र अवलोकन से वादी का मुख्य एवं सारभूत अनुतोष उसकी कथित कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 एवं 3 के बिना विधिक अधिकार कब्जे को हटाकर कब्जा प्राप्त करना है। उक्त अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 तथा तृतीय अनुसूची की प्रविष्टि 23 के अंतर्गत राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आती है। धारा 207 के कारण उक्त वाद कारण पर आधारित वाद का संज्ञान सिविल न्यायालय द्वारा नहीं लिया जा सकता। मेसने प्रॉफिट एवं रिसीवर की राहतें उक्त मुख्य राहत से संबद्ध एवं आनुषांगिक प्रकृति की हैं। इनके कारण सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक सं. 4 के संबंध में

Authenticated Document

पारित निष्कर्ष में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। उक्त विवाद्यक के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष वैध एवं विधिसम्मत नहीं होने से यह न्यायालय उक्त निष्कर्ष से सहमत नहीं है तथा विवाद्यक सं. 4 के संबंध में पारित विचारण न्यायालय के निष्कर्ष का अपास्त करना उचित समझता है तथा यह विवाद्यक प्रतिवादी पक्ष के हक में निर्णीत किया जाता है।

29. **अब यह प्रश्न आता है कि विवाद्यक संख्या 4 को प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत किये जाने के पश्चात विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 1, 2 एवं 3 को वादी के पक्ष में निर्णीत करते हुए वाद डिक्री किया जाना क्या विधिसम्मत है ?** इस संबंध में न्यायालय का मत है कि जब वाद का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को है, तो उसी न्यायालय द्वारा उस वाद के मुख्य अनुतोष के गुण-दोष पर विचार कर वाद का निस्तारण करना चाहिए। विवाद्यक संख्या 1 में वादी की हिस्सेदारी, विवाद्यक संख्या 2 में कथित कब्जा तथा विवाद्यक संख्या 3 में उसी कब्जे से कथित आर्थिक लाभ की जांच की गई। ये सभी प्रश्न उसी मूल वाद कारण से उत्पन्न हैं जिसके संबंध में सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित पाया गया है। अतः केवल इस कारण कि विचारण न्यायालय ने उन विवाद्यकों पर साक्ष्य ग्रहण कर निष्कर्ष दिया है, उक्त आक्षेपित निर्णय स्थिर रहने योग्य नहीं है। हालांकि यह आवश्यक है कि पूर्व राजस्व कार्यवाही में पारित डिक्री अथवा वहां निर्धारित अधिकारों का स्वतंत्र विधिक प्रभाव बना रहेगा। इस अपील में केवल सिविल न्यायालय द्वारा वर्तमान वाद में दर्ज निष्कर्षों के अंतिम प्रभाव को कायम नहीं रखा जा रहा है। फलतः विवाद्यक संख्या 1, 2 एवं 3 पर विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष तथा उनके आधार पर पारित डिक्री कायम रखे जाने योग्य नहीं हैं।

Authenticated Document

30. **अब हमें यह देखना है कि सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अभाव में क्या वादी का वाद सीधे खारिज कर दिया जाए अथवा वादपत्र को सक्षम राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापस किया जाए।** इस संबंध में आदेश 7 नियम 10 सि.प्र.सं. वादी को उसका वाद उस न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापस किये जाने की व्यवस्था करता है जिसमें वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। नियम 10 यह स्पष्ट करता है कि Court of Appeal or Revision may direct, after setting aside the decree passed in a suit, the return of the plaint.

31. चूंकि वर्तमान मामले में वाद में वाद कारण का अभाव नहीं है। वादी ने कृषि भूमि में अपने कथित अधिकार तथा प्रतिवादी संख्या 1 एवं 3 के कथित अवैधानिक कब्जे के आधार पर अनुतोष चाहा है, केवल सही न्यायालय में पेश नहीं किया है, ऐसी स्थिति में न्यायहित में उचित होगा कि विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अपास्त कर वाद को सक्षम राजस्व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु वापस किया जाए। अतः मूल वादपत्र एवं संलग्न दस्तावेजों को विधि के अनुसार वापस किया जाना उचित होगा ताकि वादी सक्षम राजस्व न्यायालय के समक्ष अपना वाद प्रस्तुत कर सके। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि समय सीमा, पोषणीयता अथवा राजस्व न्यायालय के समक्ष उपलब्ध विशिष्ट अनुतोषों का प्रश्न सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। इस अपीलीय निर्णय में उन प्रश्नों पर कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं की जा रही है।

32. इस प्रकार उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वाद का मुख्य अनुतोष कृषि भूमि पर कथित वैधानिक कब्जे से मुक्ति प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करना है। उक्त मुख्य राहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 एवं तृतीय अनुसूची की प्रविष्टि 23 के अंतर्गत राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आती

है। धारा 207 के कारण उक्त वाद कारण पर आधारित वाद का संज्ञान सिविल न्यायालय द्वारा नहीं लिया जा सकता। ₹4,50,000/- की मेसने प्रॉफिट की मांग तथा रिसीवर की प्रार्थना मुख्य अनुतोष कब्जे के अनुतोष से संबद्ध सहायक/आनुषांगिक अनुतोष हैं और इनके कारण सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 4 को वादी के पक्ष में निर्णीत करना विधि-सम्मत नहीं था। विवाद्यक संख्या 4 के विपरीत निष्कर्ष के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 1, 2 एवं 3 पर गुणावगुण पर दिये गये निष्कर्षों के आधार पर वादी के पक्ष में पारित डिक्री भी विधिसम्मत नहीं है। अतः विचारण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। किन्तु चूंकि वादपत्र में वाद कारण विद्यमान है, अतः न्यायहित में वादपत्र को आदेश 7 नियम 10 व 10 ए सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन सक्षम राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु वापस किया जाना न्यायोचित है।

## आदेश

अतः अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या-3 बिस्सा सिंह की ओर से प्रस्तुत की गई हस्तगत दीवानी अपील स्वीकृत की जाकर विद्वान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, बून्दी द्वारा मूल दीवानी प्रकरण संख्या 01/2026 जानकीलाल बनाम देवकरण व अन्य पारित निर्णय व डिक्री 07-06-2026 को अपास्त किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि वादी की ओर से प्रस्तुत मूल वाद दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होने के कारण उक्त वाद को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 10 व 10 ए के तहत सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वादी का लौटाया जावे।

Authenticated Document

इस निर्णय की एक प्रति सहित विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली विचारण न्यायालय को अनुपालनार्थ अविलम्ब प्रेषित की जाये।

(कृष्णा गुप्ता)
अपर जिला न्यायाधीश, संख्या-2,
बून्दी (राजस्थान)

33. निर्णय आज दिनांक 11 अगस्त, 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला न्यायाधीश, संख्या-2,
बून्दी (राजस्थान)

Digitally signed by DILIP JAIN
Date: 2026.08.11 16:58:53 +0530

Authenticated Document